छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर,अटल नगर,

क्रं.RULE/386/2026-GAD-3 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28-04-2026

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़।

विषयः- निगम मण्डल तथा स्वायत्त संस्थाओं में "भर्ती नियम" बनाने बाबत्।

संदर्भः- इस विभाग का जारी परिपत्र क्रमांक सी/3-20/95/3/1 दिनांक 28.10.1995.

---000---

कृपया संदर्भित परिपत्र का अवलोकन करें। शासन के ध्यान में आया है कि निगम, मण्डल तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं में भर्ती नियम नहीं बनाये गये है एवं बिना भर्ती नियमों के ही अधिकारियों/कर्मचारियों की भर्ती की जाती है। राज्य शासन द्वारा इस संबंध में पूर्ण विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि निगम, मण्डल तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं में जब तक भर्ती नियम नहीं बन जाते तब तक किसी भी प्रकार की भर्ती न की जाये और ऐसे निगम, मण्डल तथा स्वायत्तशासी संस्थाएं जिन्होंने अभी तक भर्ती नियम नहीं बनाये है, भर्ती नियमों में आरक्षण संबंधी प्रावधान उसी प्रकार रखे जाए जैसे शासन के अधीन पदों पर लागू हैं।

2/ इस संबंध में उल्लेख किया जाता है कि जिन प्रशासकीय विभागों के नियंत्रणाधीन निगम, मण्डल तथा स्वायत्तशासी संस्थाएं कार्यरत है, उनके संबंध में प्रशासकीय विभाग स्वयं आदर्श भर्ती नियम तैयार करावें, यदि निर्धारित समयावधि में आदर्श भर्ती नियम तैयार नहीं किये जाते है तो यह दायित्व उन्ही प्रशासकीय विभागों का होगा जिनके अंतर्गत ऐसे निगम, मण्डल तथा स्वायत्तशासी संस्थाएं कार्यरत है।

Chaturpost.com

3/ नियम/भर्ती नियम निर्वचन किये जाने के लिये प्रशासकीय विभाग स्वयं सक्षम होगें और सामान्य प्रशासन विभाग को प्रकरण भेजने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु बनाये गये भर्ती नियमों की एक-एक प्रति सामान्य प्रशासन विभाग को निर्धारित समयावधि में निश्चित रूप से उपलब्ध कराई जायें और जब तक आदर्श भर्ती नियम नहीं बन जायें तब तक सभी प्रकार की नियुक्ति संबंधी कार्यवाही स्थगित रखें।

Scanned with OKEN Scanner

4/ छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के नियम 2(च)"स्थापन" जो निम्नानुसार है:-"स्थापन" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार का या तत्समय प्रवृत्त राज्य के किसी अधिनियम के अधीन गठित किसी स्थानीय प्राधिकरण या कानूनी प्राधिकरण का, या किसी विश्वविद्यालय या किसी ऐसी कंपनी, निगम या किसी सहकारी सोसायटी का, जिसमें समादत अंशपूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा धारित है या किसी संस्था का, जो राज्य सरकार से सहायता अनुदान या नकद अनुदान प्राप्त कर रही है, कोई कार्यालय और इसके अंतर्गत ऐसा स्थापन आता है, जिसमें कार्यभारित या आकस्मिकता निधि से भुगतान किया जाता है, किन्तु इसमें संविधान के अनुच्छेद 30 के अधीन आने वाले स्थापन सम्मिलित नहीं है।

5/ उपरोक्त के अतिरिक्त समस्त प्रशासकीय विभागों के अधीनस्थ, ऐसे निगम, मण्डल, आयोग तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें अंशपूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा अवधारित की गई हो। उन संस्थाओं में कार्यरत् अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाओं पर छत्तीसगढ़ सिविल (सेवा की सामान्य शर्त) 1961, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अन्य प्रचलित नियम प्रभावी रूप से लागू होंगें।

6/ उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार,

Digitally signed by
Shiv Kumar Singh
Date: 28-04-2026
10:01:21

(एस.के.सिंह)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्र.RULE/386/2026-GAD-3 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28-04-2026

प्रतिलिपि:-

1. मान. राज्यपाल के सचिव, लोकभवन, रायपुर,
2. प्रमुख सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
3. सचिव, विधान सभा सचिवालय, नवा रायपुर अटल नगर,
4. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
5. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
6. महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ मान0 उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
7. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग नवा रायपुर, अटल नगर,
8. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग रायपुर,
9. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर,
10. सचिव, राज्य योजना आयोग/राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग/राज्य मानव अधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य सूचना आयोग/राज्य महिला आयोग/राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग/राज्य अनुसूचित जाति आयोग/राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/राज्य

Scanned with OKEN Scanner